बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना–14, फोन नं0–2223727, फैक्स नं0– 2224529 2224529

अतिअल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या–8/2015

1 निविदाकर्त्ता का पदनाम : मुख्य अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय **02–02–2015** के अपराह्न **11.00** बजे से । 3. निविदा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय **04–02–2015** को अपराह्न 17.00 बजे तक 4. निविदा अप लोड करने की तिथि एवं समय : **06–02–2015** को अपराह्न **15.00** बजे तक । 5. निविदा की तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : **09–02–2015** को **15.30** बजे अपराह्न। 6. निविदा खोलने का स्थान–बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर । 7. निर्माण कार्य का व्योरा :–

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि रू0 में।	परिमाण विपत्र का मूल्य रू0 में	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रू0 में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	पटना जिलान्तर्गत पटनासीटी चौक थाना भवन का निर्माण कार्य	350.00	700000	10000	16854	12 माह

8. 10 लाख से ऊपर की निविदा ई–टेंडरिंग पद्धति से प्राप्त की जायेगी । इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के बेवसाईट www.bpbcc.co.in /बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in तथा निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक–**02–02–2015 के 11.00 बजे अपराह्न् से** प्राप्त की जा सकती है ।

9. उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से उपर की निविदा S.B.D. के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जायगी, जो निविदा 40 लाख से उपर की है वह द्वि–वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी । परिमाण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से उपर के कार्य के लिए रू0 15,000/– + 12.36 प्रतिशत सेवा कर के रूप में, 70 लाख से उपर के कार्य के लिए रू0 5,000/– + 12.36 प्रतिशत सेवा कर के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए रू0 1,000/– + 12.36 प्रतिशत परिमाण विपत्र के मूल्य के साथ ही शामील कर लिया गया है जो वापस नहीं होगा । निविदा प्रसंस्करण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र ऑन लाईन मोड यथा क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट–बैंकिंग, NEFT/RTGS से बेवसाईट **www.eproc.bihar.gov.in** का उपयोग करते हुए यथा निविदा सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है। निगम विलम्ब/ निविदा अपलोड नहीं करने, ईंटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता , नेटवर्क यातायात /छुट्टियाँ या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
   शेष परिमाण विपत्र की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के नाम से हो तथा पटना में भुगतेय दिनांक– 04–02–2015 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा । प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो निविदा के सामने उपर अंकित है, को लौटाया नहीं जायगा ।
   अग्रधन की राशि/ बैंक ड्राफ्ट मूल कागजात के साथ बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्यालय कार्यालय में दिनांक– **06–02–2015** तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा । ई.निविदा से संबंधित कार्यो के परिमाण–विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि ही मूल रूप में निगम कार्यालय में दिनांक **07–02–2015** के अपराह्न् 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायगा ।

10. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के समुचित कोटि के निबंधित संवेदक एवं अन्य सरकारी विभाग के निबंधित सम्वेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना आवश्यक होगा ।

11. परिमाण विपत्र केवल उन्हीं सम्वेदकों को (प्रतिनिधि को नहीं) निर्गत किया जाएगा जो निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों का अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे एवं उसकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :– वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण–पत्र, बिक्री कर शोधन/श्रमिक निबंधन अनुज्ञप्ति, निबंधन प्रमाण–पत्र । विद्युतिकरण कार्य एवं विद्युतिकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतिकरण कार्य का लाईसेंस एवं पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को पार्टनर/सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर निविदा में भाग लिया जा सकता है।

12. परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee के रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा।

13. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायगी ।

14. **जो संवेदक निविदा में भाग लेने से बंचित हैं (Debar), अथवा जिनके पास किसी कारणवश पूर्व से आवंटित कार्य लम्बित रहा है या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किए हैं या कार्य शुरू नहीं किए हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।**

15. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तद्नुसार परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी । समुचित अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायगी । अग्रधन की राशि छः वर्षीय बचत प्रमाण–पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा । इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो निविदा के मान्य अवधि तक के लिये बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, मान्य होगा ।

नोट :– ई–निविदा–पत्र www.eproc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है ।

ह0/– मुख्य अभियंता, पटना ।